

कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली

क्रमांक:-रसद/उ0मू0दु0/नियुक्ति/2025/3261-71

दिनांक:- 11/07/2025

कार्यालय आदेश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17 (1) खा. वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ.17 (5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड (1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यालय के विज्ञप्ति आदेश क्रमांक रसद/उ0मू0दु0/नियुक्ति/2025/917-29 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों हेतु जारी विज्ञप्ति में सहवन से क्रमांक नम्बर 03 पर ग्राम पंचायत मण्डावरा अंकित कर दिया था, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए इसे ग्राम पंचायत मण्डावरा(कैलाश नगर) पढा जावे तथा क्रमांक नम्बर 09 पर ग्राम पंचायत कसेड तहसील मण्डरायल अंकित कर दिया गया था, इसमें आंशिक संशोधन करते हुये इसे ग्राम पंचायत कसेड तहसील सपोटरा पढा जावें।



(हितेश कुमार मीना)
जिला रसद अधिकारी
करौली

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, करौली।
3. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
5. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट Food.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।
6. माननीय सांसद महोदय, करौली।
7. माननीय विधायक महोदय समस्त जिला करौली।
8. उपखण्ड अधिकारी समस्त, जिला करौली।
9. तहसीलदार समस्त जिला करौली।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त, जिला करौली।
11. प्रबंधक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम करौली।
12. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, करौली को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
13. रक्षित पत्रावली।



जिला रसद अधिकारी
करौली